Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2021, VOL- 8/65
https://doi.org/10.21922/srjis.v8i65.1339

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन, समस्या एवं निराकरण का विश्लेषण

प्रो. नंदलाल मिश्र[1] & मृदुल कुमार सिंह[2]
[1]अधिष्ठाता, कला संकाय, MGCGV चित्रकूट
[2]शोधछात्र

Paper Received On: 21 JUNE 2021

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2021

Published On: 1 JULY 2021

Abstract

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ और राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद इसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया। 86 वां संविधान संशोधन जो भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध कराता है उसी दिन अधिसूचित हुआ। इसके अलावा न्याय योग्य धाराओं जिसके साथ राज्य के प्राधिकृत छात्र-शिक्षक अनुपात को हर विद्यालय के लिए आवश्यक रूप से ग्राह्य बना दिया गया। अनिवार्य विद्यालय प्रबंधन समितियां जिनमें ज़्यादातर माता-पिता ही होंगे और स्थानीय प्राधिकारों की नियुक्ति अधिनियम को अनुबंधित समयावधि में कार्यान्वित करने का काम हतोत्साहित करता है। वितरण यान्त्रिकी, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण संस्थान, एजेंसियों के बीच समन्वय तथा माता-पिता की निगरानी प्रक्रिया को शीघ्र तय कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की अधिनियम का कम से कम उल्लंघन हो या उसे तत्काल ठीक किया जा सके।

मुख्य शब्दः *RTE, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, ASER, संविधान*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

संयुक्त राष्ट्र संध ने शिक्षा के अधिकार को 'मानवाधिकार' की मान्यता प्रदान की है। शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 26 में, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा की धारा 14 में स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को एवं अन्य अंग शिक्षा के अधिकार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा देश के बच्चों के प्रति अपने दायित्व निर्वहन के प्रयास के क्रम में केन्द्र सरकार ने बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विनियमन किया है जिसे 26 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई (सिंह, ए. 2009)। अधिनियम के प्रावधान 1 अप्रैल, 2009 से लागू हो गये हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने से पूर्व इस अधिनियम हेतु संविधान में समुचित प्रावधान करने के उद्देश्य से 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं

भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा 'प्राथमिक शिक्षा' के रूप में परिभाषित। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है; तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा जो उसे जारी किया गया हो (नंदकर, 2009)। उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात की सिफारिश, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार। स्कूल शिक्षक को पाँच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। स्कूल का बुनियादी ढाँचा (जहाँ यह एक समस्या है) 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच (55:45 के अनपात में) साझा किया जाएगा। (अधिनियम 2009 की आख्या)

RTE के क्रियान्वयन में समस्या क्या है? इस अधिनियम के अपेक्षानुरूप कार्यान्वित न होने के पीछे अनेकानेक कारण हैं:- इसके दिशा-निर्देशों के संबंध में अधिकांश माता-पिता को जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिये अधिकारों की मांग नहीं कर पाते। अनेक विद्यालय मानते हैं कि RTE के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। सरकार स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती, अतः स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत सीमांत वर्गों, जैसे-LGBT, विकलांगों, अनाथों, भिखारियों आदि के बच्चों के लिये पृथक् प्रावधान नहीं किया गया है। (शालिनी, 2016)

'सर्व शिक्षा अभियान' में धन की कमी सबसे बड़ी बाधा- सर्वशिक्षा अभियान RTE अधिनियम के कार्यान्वयन का एक मुख्य साधन है। यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। यह मुख्यतया केंद्रीय बजट से प्राथमिक तौर पर वित्तपोषित है और पूरे देश में चलाया जाता है।

आरटीई के दस साल का सफर घुटनों पर चलने की तरह रहा है. एक दशक बाद शिक्षा का अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित हैं, उलटे इससे सवाल ज्यादा खड़े हुये हैं. इस कानून को लागू करने के लिये जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ही पिछले दस सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाती हुई ही दिखाई पड़ी हैं। चूंकि हमारे देश के राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है इसलिए पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई को लागू करने में उदासीन रही हैं. दस साल इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से भारत के स्कूली शिक्षा का अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये सरकारों की उपेक्षा से जूझता रहा है। उपलब्धियों की बात करें तो शिक्षा अधिकार कानून के एक दशक का सफर 'सभी के लिये स्कूलों में नामांकन का अधिकार' साबित हुआ है. इस दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धि स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का लगभग सौ फीसदी नामांकन हैं, (सिंह, ए. 2015) हम प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने में भी कामयाब रहे हैं। आज लगभग हर बसावर या उसके करीब एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है। इसके अलावा स्कूलों के अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में भी सुधार हुआ है, आज ज्यादातर स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं. हालांकि इनमें अभी भी पानी और साफ-सफाई की समस्या बनी हुई है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

चुनौतियों की बात करें तो पिछले दस वर्षों के दौरान आरटीई सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हुई है. प्राथमिक स्कूलों में नामांकन तो हो गये हैं लेकिन स्कूलों में बच्चों के टिके रहने की चुनौती अभी भी बरकरार है. इसी के साथ ही आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिये माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति द्वारा फरवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में संसद में पेश की गयी रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर चिंता जाहिर की गई है. रिपोर्ट के अनुसार अभी तक देश के केवल 56 फीसदी सरकारी स्कूलों में ही बिजली की व्यवस्था हो सकी है, जिसमें मध्यप्रदेश और मणिपुर में तो महज 20 फीसदी स्कूलों तक ही बिजली की पहुंच हो सकी है। इसी प्रकार से देश में 57 प्रतिशत से भी कम स्कूलों में खेल-कूद का मैदान है. रिपोर्ट में बताया गया है कि आज भी देश में एक लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं. इधर 2014-15 के बाद से शिक्षा के बजट में भी कमी देखने को मिली है. 2014-15 में शिक्षा के लिये आवंटित बजट भारत सरकार के कुल बजट का 4.14 फीसदी था जो 2019-20 में 3.4 फीसदी हो गया है। (ASER की आख्या-2020)

आरटीई की समस्याएँ- सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है, जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, भाषा आदि के हों- शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है। गौरतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों तक शिक्षा पर कुछ खास समुदायों का एकाधिकार रहा है. यह सिलसिला औपनिवेशिक काल में टूटा, जब भारत में स्कूलों के माध्यम से सबके लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया गया. अंग्रेजी हुकूमत द्वारा स्थापित स्कूल-कालेज सभी भारतीयों के लिए खुले थे। अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट नीति अपनाई गई कि जाति और समुदाय के आधार पर किसी भी बच्चे को इन स्कूलों में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा. यह एक बड़ा बदलाव था जिसने सभी भारतीयों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल दिया। आजादी के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भारत के सभी नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी भी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार दिया गया है (सिंह, ए. 2015) । साल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के बाद पहली बार केंद्र और सरकारों की कानूनी जवाबदेही बनी कि वे 6 से 14 साल सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें. लेकिन इसी के साथ ही इस कानून की सबसे बड़ी सीमा यह रही है कि इसने सावर्जनिक और निजी स्कूलों के अन्तर्विरोध से कोई छेड़-छाड़ नहीं की। आरटीई ने ना केवल शिक्षा के दोहरी व्यवस्था को बनाये रखा है बल्कि इसे मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हुयी है. इसने सरकारी स्कूलों को 'मजबूरी की शाला' में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है. जो लोग सक्षम है उनकी दौड़ पहले से ही प्राइवेट स्कूलों की तरफ है. अब निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा लागू होने के बाद गरीब और वंचित समुदाय भी इस भगदड़ में शामिल हो गये हैं। बहरहाल पिछले तीन दशकों के दौरान दुनिया बहुत तेजी से बदली भी है और इसी के साथ ही देश-दुनिया की शिक्षा प्रणाली बढ़ती जरूरतों और मांगों के अनुसार कई बदलावों से गुजरी है (शिक्षा अधिकार अधिनियम की आख्या-2009) दुर्भाग्य से भारत में एक बार फिर कुछ समुदाय और वर्ग ही इन बदलाओं का फायदा उठा पा रहे हैं, देश की एक बड़ी जनसंख्या जिसमें मुख्य रूप से गरीब, अल्पसंख्यक और परम्परागत रूप से हाशिये पर रखे गये समुदाय शामिल है, की यहां तक पहुंच नहीं हो सकती है। इस बदली हुई दुनिया में ज्ञान पर एकाधिकार की एक नयी व्यवस्था बनी है जिसमें पूंजी और बाजार की एक बड़ी भूमिका है. पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षा का सार्वभौमिकरण (यूनिवर्सलाइजेशन) तो हुआ है लेकिन इसका विभाजन भी बहुत गहरा हुआ है. इस नये विभाजन के दो छोर हैं- जहां एक तरफ कुछ चुनिन्दा कुलीन और संभ्रांत प्राइवेट स्कूल, नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय हैं तो दूसरी तरफ सरकारी और गली मुहल्लों में चलने वाले छोटे और मध्यमस्तर प्राइवेट स्कूल।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

इन तमाम चुनौतियों से उभरने के हमें दो स्तरों पर उपाय करने की जरूरी है, एक तो आरटीई के दायरे में रहते हुये जरूरी कदम तो उठाने ही होंगे, साथ ही शिक्षा के अधिकार कानूनों के सीमओं को तोड़कर भी आगे बढ़ना होगा। प्राथमिक शिक्षा में लगभग शत प्रतिशत नामांकन के करीब पहुंचने के बाद आरटीई को सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा के लिये अवसर का कानून की भूमिका से आगे बढ़ते हुये सभी बच्चों के के लिये गुणवत्ता पूर्ण और समान शिक्षा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। अब नामांकित बच्चों के नियमितीकरण और उन्हें अधिक समय तक स्कूल में रोके रखने के लिये तत्काल ठोस उपाय किये जाने की जरूरत है. इसका सीधा संबंध शिक्षा के गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है जिसके लिए बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के साथ एक बड़े नीतिगत फैसले और जरूरी बजट की जरूरत होगी। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना और सावर्जनिक शिक्षा पर सरकारी खर्चे को जीडीपी के छह प्रतिशत तक खर्च करने की बात की गयी है लेकिन हम जानते हैं कि इस देश नीतियों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता हैं. इससे पहले भी 1968 में जारी की गयी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी सावर्जनिक शिक्षा में जीडीपी के छह प्रतिशत तक खर्च का सुझाव दिया जा चुका है, अब एक बार फिर इसे दोहराया गया है (सैनी,ए.के. 2016)। लेकिन अब इसे दोहराने का नहीं बल्कि फैसला लेने का है। शिक्षा में गवर्नेस की मौजूदा प्रणाली पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की बात की गयी है लेकिन इससे शिक्षा प्रशासन के केन्द्रीकरण का खतरा बढ़ जाने की सम्भावना है. शिक्षा के प्रशासन को हमें इस प्रकार से विकेन्द्रित करने की जरूरत है जिसके केंद्र में शिक्षक, समुदाय और बच्चे हो सकें। शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये जिम्मेदार एजेंसी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की भूमिका और स्पष्ट व मजबूत बनाने की जरूरत है (सिंह, एस. 2009) प्रभावी निगरानी के लिये व्यावहारिक रूप से यह जरूरी है कि कम से कम हर जिले में आयोग का अपना ढांचा हो जो आरटीई के शिकायत निवरण ढ़ांचे की तरह काम करे। यह काम राज्य बाल आयोगों के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है जबकि शिक्षा का जिम्मा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास हैं यहां भी सामंजस्य बैठाने की जरूरत है।

संदर्भ सूची

ASER Report, 2020

ASER Report, 2018

Shalini (2016) "The Protection of the Right to Education by International Legal Instruments." The Protection of the Right to Education by International Law, pp. 85–154.

Saini, A. K. (2016) "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act – 2009: As One of the Most Pioneering Academic Reforms in India." International Research in Higher Education, vol. 1, no. 2, doi:10.5430/irhe

Singh A. (2015) Indian Constitution

NCTE Rreport 2014-15

RTE Act, 2009

Singh, S. (2009) "Awareness in Elementary School Teachers of Government and Public Schools about Right to Education Act 2009." Journal of Teacher Education and Research, vol. 11, no. 2, 2016, p. 93.

Nandekar, U.P. (2009) "Right to Education and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009." SSRN Electronic Journal, doi:10.2139/ssrn.2271976

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies